रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक	:	OA-IIu/BPL/85/2020
दावा पंजीकरण तिथि	:	07-09-2020
आदेशार्थ रखने की तिथि	:	23rd November, 2023
आदेश तिथि	:	24th November, 2023

1) श्रीमती आरती चौधरी पत्नी स्व० श्री सुभाष चौधरी
2) पुष्पेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व० श्री सुभाष चौधरी
3) विमल चौधरी पुत्र स्व० श्री सुभाष चौधरी
4) प्रियंका चौधरी पुत्री स्व० श्री सुभाष चौधरी
(आवेदक क्रमांक–2, 3 एवं 4 अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से स्वयं आवेदक–1 द्वारा)
5) सियाजी चौधरी पुत्र स्व० श्री पंजीलाल
6) श्रीमती कुसुमबाई पत्नी श्री सियाजी चौधरी
निवासी–ग्राम पुनवारा,
थाना–अमदरा, जिला–सतना (म०प्र०)

..........आवेदक

विरुद्ध

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म०प्र०)

.........रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री अशोक श्रीवास्तव/श्रीमती फरजाना अजीज, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता
(बहस के दौरान प्रॉक्सी काउंसिल–श्री ओमशंकर श्रीवास्तव)

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता/पुत्र मृतक *सुभाष चौधरी पिता श्री सियाजी चौधरी* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन एवं शपथ पत्र के अनुसार *34* वर्षीय मृतक मजदूरी करता था तथा वह सेकण्ड क्लॉस जनरल टिकट लेकर दिनांक *11-03-2020* को मदनपुर रेलवे स्टेशन से सतना की यात्रा यात्री ट्रेन इटारसी–सतना पैसेन्जर ट्रेन से करने हेतु मदनपुर स्टेशन पर ही सवार होते समय अचानक ट्रेन का झटका लगने से अपना संतुलन खो बैठा और स्टेशन पर ही चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और आई घातक चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. यात्रा टिकट की सत्यापित प्रति दावे के साथ पेश की गई है. सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी/मैहर चौकी द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या–02/20 पर पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही सम्पन्न की. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली

निरंतर......2/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन मृतक पति/पिता/पुत्र की पत्नी/संतान/माता–पिता के तौर पर आवेदक की आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पांडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी डीआरएम जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने जवाबदावे में मृतक के साथ घटित घटना को स्वीकार करते हुए अपना विरोध केवल इस बात तक सीमित रखा है कि ट्रेन छूट जाने के बाद वह चलती ट्रेन में चढ़ते समय दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसके लिए मृतक स्वयं जिम्मेदार होने से मुआवजा देने के अपने उत्तरदायित्व से इनकार किया है एवं दावा आवेदन को खारिज किये जाने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependents ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से आवेदक क्रमांक–1 ने स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1* से *A-7* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पांडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. उपस्थित आवेदक–साक्षी का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

<u>इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2</u> :

6. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. साक्ष्य के तौर पर उपस्थित आवेदक क्रमांक–1 की साक्ष्य से यह साबित होता है

शेष.......3/पर

कि वह साक्षी साथ में नहीं थी, इसलिए घटना कैसे व किन परिस्थितियों में घटित हुई थी, इस बारे में केवल सुनी–सुनायी बातों का ही आधार है. अतः पूरा दारोमदार उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्यों एवं परिस्थितिजन्य हालातों पर ही निर्भर है. बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं रेस्पांडेन्ट के रेकार्ड के अनुसार घटना मदनपुर स्टेशन पर विवेचित यात्री गाड़ी में सवार होते समय घटित हुई है एवं उसके पास यात्रा का टिकट भी जब्त हुआ है. इसी को देखते हुए रेस्पांडेन्ट ने *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटुवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त में डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में प्रकरण को "एडमिट" मान लिया है किन्तु अपना प्रतिरोध केवल इस बात तक सीमित रखा है कि ट्रेन स्टार्ट हो जाने के बाद वह चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है, अतः घटना के लिए मृतक की गलती एवं लापरवाही जिम्मेदार है.

7. मेरे द्वारा पत्रावलि पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं उपस्थित मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया तथा पक्ष–विपक्ष में पेश की गई विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को बड़े ध्यान से सुना. जैसा कि अंतिम तौर पर प्रकरण में यही तथ्य विवादित है कि चलती गाड़ी में चढ़ना अथवा उतरना उस स्तर की गलती अथवा लापरवाही है जो कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों से आच्छादित हो जाए. इस सम्बन्ध में *माननीय आन्ध्र हाईकोर्ट* द्वारा अपने प्रकरण *Union Of India (UoI), through General Manager, Southern Railway vs Kurukundu Balakrishnaiah And others on 8 December, 2003 (reported- II (2004) ACC 591)* में पैरा–19 के *(2) Accidental falling would include a passenger trying to alight a train, board a train, or any other like action, and hence they would be covered by untoward incident as specified in Section 123(c) of the Act* में *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन अनटुवर्ड इंसीडेन्ट में ही सम्मिलित किया है, जिसको कि *माननीय सुप्रीमकोर्ट* द्वारा भी अपने प्रकरण–*रामस्वरूप बिo रीनादेवी* में उल्लेखित किया है. अतः माननीय सुप्रीमकोर्ट एवं आन्ध्र हाईकोर्ट के उल्लेखित न्यायसिध्दान्त को ध्यान में रखते हुए मैं रेस्पांडेन्ट की दी गई दलीलों को विधिसम्मत नहीं मानता हूँ एवं यही अवधारित करता हूँ कि आवेदकों ने यह पुख्ता तौर पर साबित कर दिया है कि मृतक के साथ घटित उक्त घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अन्तर्गत बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. अतः इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–3 :

8. घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पुख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

निरंतर......4/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

<u>इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :</u>

9. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता/पुत्र के पत्नी/संतान एवं माता–पिता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए उन की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक बचतखाता पासबुक तथा समग्रआयडी (A-6 & 7) आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सभी आवेदक *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B) (i) & (ii)* के अधीन मृतक की पत्नी, संतान एवं माता–पिता के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं.

10. चूंकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पाडेन्ट बाध्य है.

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *11-03-2020* से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक की ओर से अनुपस्थिति/निवेदन पर सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 29-04-2022 से दिनांक 27-09-2022 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक 09% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पाडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

12. अतः रेस्पाडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं तदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं तदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	श्रीमती आरती चौधरी	पत्नी	33	3,00,000/-	30,000/-	2,70,000/-
2)	पुष्पेन्द्र कुमार चौधरी	पुत्र	15	1,00,000/-	--	1,00,000/-
3)	निमल चौधरी	पुत्र	14	1,00,000/-	--	1,00,000/-
4)	प्रियंका चौधरी	पुत्री	10	1,00,000/-	--	1,00,000/-
5)	[illegible] चौधरी	पिता	60	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
6)	श्रीमती कुसुम बाई	माता	56	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

निरंतर 5/प

Sd/-

सम्यक प्राधिकारी

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

13. रेस्पाडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *11-03-2020* से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक की ओर से अनुपस्थिति/निवेदन पर सुनवाई में हुए विलंब अवधि तथा दिनांक 29-04-2022 से दिनांक 27-09-2022 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक **09%** प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी सदेय आश्रितों को करेगा.

14. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा –

(1) उक्त तालिका के क्रमांक–1 अर्थात् मृतक की पत्नी को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 30,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको वह तत्काल निकाल सकती है, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 2,70,000/- को 5,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 54 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी

(2) उक्त तालिका के क्रमांक–2, 3 एवं 4 अर्थात् मृतक संतान चूँकि अवयस्क है इसलिए ब्याज सहित संदत्त कुल प्रतिकर राशि को इनके वयस्क होने की अवधि अथवा 60 माह, जो भी बाद में हो, तक की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा एवं इस पर अर्जित ब्याज त्रैमासिक तौर पर इनके लालन–पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आवेदक क्रमांक–1 द्वारा आहरित किया जाएगा.

(3) उक्त तालिका के क्रमांक–5 एवं 6 अर्थात् मृतक के माता–पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात् 10-10 हजार एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकते है, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 90-90 हजार को 2-2 हजार (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 45 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी

15. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते है कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पाडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएगा. रेस्पाडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

16. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पाडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पाडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

निरंतर.....6/ पर

Sd/-

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

17. भारत सरकार ने 00 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएगें :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएगें,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

18. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

19. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

20. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

21. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

22. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

23. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

24. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

25. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

26. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

शेष ...7/-

Sd/-

(रेल दावा अधिकरण, प्रमाणित, सत्य प्रतिलिपि, भोपाल पीठ भोपाल)

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

27. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर)

28. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) यह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

29. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

30. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019, decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि० जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

31. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

32. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

33. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

34. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/-

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 24th November, 2023 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

Sd/-

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल